न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी गोपाल लाल मीणा (आर.ए.एस.)

प्र0 सं. 46/16

बउनवान

सरदारी बाई पुत्री हरदेव जाति धाकड़ निवासी भवंरगढ, तहसील किशनगंज

प्रार्थीया

बनाम

1. पीरूलाल पुत्र हरदेव जाति धाकड़ निवासी भवरगढ़
2. शान्ति बाई पुत्री हरदेव जाति धाकड़ निवासी भवरगढ़
3. रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र पुष्पा बाई पिता धन्नालाल जाति धाकड़ निवासी कांकडदा
4. जसोदा बाई पुत्री पुष्पा बाई पत्नि गोपाल जाति धाकड़ निवासी कांकडदा हाल आकोदिया
5. राज0 सरकार जर्ये तहसीदार किशनगंज

अप्रार्थीगण

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) R.T.A.

निर्णय **दिनांक 27.10.2017**

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) **R.T.A.** मे जर्ये अभिभाषक श्री विजय नागर इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि वाके ग्राम भवरगढ़ की भूमि ख.नं. 1048/1 रकबा 0.13 बीघा, ख0नं0 1093/1 रकबा 1.01, खसरा नं. 2277/332 रकबा 18.13 बीघा ख. नं. 263 रकबा 31 बीघा खं नं. 264/1 रकबा 0.17 बीघा ख. नं. 980 रकबा 0.12 बीघा ख. नं. 1172 रकबा 0.05 बीघा ख.नं. 1175 रकबा 0.02 बीघा खं0नं0 1176 रकबा 0.05 बीघा , खं0नं0 1329 रकबा 0.16 बीघा , ख0नं0 1349 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 1433 रकबा 1.00 बीघा कुल किता 12 कुल रकबा 1.14+ 18.13+35.01 बीघा अवस्थित है जिसे प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी शामलाती खातेदारी की है। विवादित आराजी का आपसी बंटवारा नही होने से प्रार्थीया व अप्रार्थीगण 1 ता 4 के मध्य आये दिन लडाई–झगडा होने की संभावना बनी रहती है। वर्ष 2015 में प्रर्थीया ने मुनाफा काश्त कर अपना हिस्सा अप्रार्थी कम 1 को दिया था जिसकी सम्पूर्ण मुनाफा राशि भी अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थीया को देने से साफ मना कर दिया तथा कब्जा छोडने से भी मना कर दिया अप्रार्थी कम 1 जबरन नाजायज व अवैधानिक रूप से प्रार्थीया के हिस्से की आराजी से अवैध लाभ प्राप्त करना चाहता है। जिसका उसे कोई अधिकार नही है। इस कारण प्रार्थीया सम्पूर्ण विवादित आराजी पर अप्रार्थी कम 5 को रिसीवर नियुक्त करवा पाने के अधिकारी है। प्रार्थीयों के हितों की रक्षार्थ एवं उसकी आराजी को बचाने के लिए अप्रार्थी कम 5 को रिसीवर नियुक्त किया जाना न्याय हित में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारॉं (राज.)

अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी नियत पेशी पर अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त आराजी हरदेव पुत्र रघुनाथ जाति धाकड के खातेदारी की थी इनका देहान्त होने के बाद नामान्तकरण अप्रार्थी कम 1 के नाम खुला था जिसकी जानकारी प्रार्थीया को थी जिस नामान्तकरण से प्रार्थीया को व अप्रार्थीगण के नाम आराजी आई उसकी अपील राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है। तथा आगामी आदेश तक स्थगन भी है। जिस फौजदारी प्रकरण का हवाला दिया गया है उसका निस्तारण हो चुका है। प्रार्थीया का उसमें कोई हिस्सा नही माना गया तथा राजस्व प्रकरण जैरकार होने के कारण न्यायालय द्वारा बरी किया गया है। विरासत नामान्तकरण अप्रार्थी कम 1 के नाम खुला जिसको सन् 2011 में निरस्त किया गया । जिसकी अपील राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है। प्रार्थीया द्वारा विभाजन का वाद न्यायालय श्रीमान में पेश किया था जिसको कि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में नामान्तकरण की अपील होने के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी है। वर्तमान में विवादित आराजी पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल का दिनांक 12.07.2017 स्थगन आदेश बढाया हुआ आगे भी बढाया हुआ है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रकरण मे रिसीवर किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सगे भाई बहिन है। प्रार्थीया की अपील नामान्तरण माननीय न्यायालय एस0 डी0 एम0 शाहबाद ने स्वीकार की है। संभागीय आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध राजस्व मंडल अजमेर को अपील पेश की है। राजस्व मंडल ने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने इस न्यायालय मे कार्यावाही रोकने संबंधि कोई आदेश जारी नहीं किये। अतः विवादित आराजी पर रिसीवर किया जावे। वकील अप्रार्थी का कथन है कि जिस नामान्तरण से खातेदारी हुई उसकी अपील राजस्व मंडल में चल रही है। दावा पत्रावली राजस्व मंडल मे तलब की गयी है। जब दावा न्यायालय मे नही है तो प्रार्थना पत्र 212(2) पर कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। जिस दिन दावा प्रस्तुत किया था। उस समय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 R.T.A. मे प्रस्तुत करना चाहिए था। प्रकरण मे रिसीवर किया जाना उचित नही है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड ग्राम भंवरगढ की नकल जमाबन्दी संवत 2068–71 के अनुसार प्रार्थीया एवं अप्रार्थी कम 1 ता 4 सहखातेदार है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी कम

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारॉ (राज.)

1 व 2 मृतक हरदेव के वारिसान है। प्रस्तुत फर्द दस्तावेज माननीय न्यायालय राजस्व मंडल के अपील/ निगरानी /8933/2012/ दिनांक 12.07.2017 तक प्रकरण को स्टे आडर की बढायी हुई तिथि की छायाप्रति पेश की है। प्रकरण मे निगरानी /T.A./बारां/2015/7166 से आगामी पेशी तक कार्यवाही स्थगित रखी जावे। जब न्यायालय में मूल वाद ही जैरकार नहीं है तो प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। प्रार्थी को विधि अनुकूल समक्ष न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए। अतः प्रकरण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

गोपाललाल मीणा
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज